न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) वल्लभनगर जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : अनिल कुमार शर्मा, RAS.

पत्रावली संख्या : 03/18 (वाद पत्र)

1. श्री बाबुलाल पिता श्री रामा कीर निवासी बांसलिया तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर ।

...........वादी

बनाम

1. श्री मदनलाल पिता रामा कीर निवासी बांसलिया तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर
2. श्रीमती प्यारीबाई पत्नी रामा कीर निवासी बांसलिया तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर
3. श्री नानालाल पिता हमेरा कीर निवासी बांसलिया तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर
4. श्री बाबुलाल पिता हमेरा कीर निवासी बांसलिया तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर
5. श्री शंकरलाल पिता हमेरा कीर निवासी बांसलिया तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर
6. श्रीमती कनीबाई पत्नी हमेरा कीर निवासी बांसलिया तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर
7. श्री भैरा पिता मोती कीर निवासी बांसलिया तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर
8. श्री मांगू पिता उदा कीर निवासी बांसलिया तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर
9. श्री हेमराज पिता उदा कीर निवासी बांसलिया तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर
10. श्री चुन्नीलाल पिता भाना कीर निवासी बांसलिया तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर
11. श्री लालुराम पिता भाना कीर निवासी बांसलिया तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर
12. श्री खेमराज पिता भाना कीर निवासी बांसलिया तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर
13. श्री सोवन पिता भाना कीर निवासी बांसलिया तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर
14. श्री वालु पिता चेना कीर निवासी बांसलिया तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर
15. श्री सवा पिता चेना कीर निवासी बांसलिया तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर
16. श्री हीरा पिता चेना कीर निवासी बांसलिया तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर
17. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार वल्लभनगर जिला उदयपुर ।

............प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53—188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांक : 15.05.2018

1. वादी द्वारा वाद अन्तर्गत धारा 53—188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में पेश कर निवेदन किया कि मौजा बड़गॉव पटवार मण्डल बड़गॉव तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर में स्थित आराजी नम्बर 7/6, 7/12, 7/4, 7/7 किता—4 रकबा 24 बीघा 6 बिस्वा भूमि वर्तमान राजस्व रेकार्ड में वादी एवम प्रतिवादीगणों के नाम पर अंकित है । खातेदार उदा की मृत्यु हो चुकी है जिनके वारिस प्रतिवादी संख्या 8, 9 है व खातेदार सवागी की मृत्यु हो चुकी है जिनके वारिस प्रतिवादी संख्या 10 से 13 है व खातेदार प्यारीबाई की मृत्यु हो चुकी है जिनके वारिस प्रतिवादी संख्या 14 से 16 है ।

2. वादी द्वारा निवेदन किया कि उक्त वाद वर्णित आराजियात का मौके पर मौखिक रूप से बॅटवारा कर रखा है किन्तु विधिक रूप से विभाजन नहीं हुआ है । जिससे राजकीय सुविधाओं का लाभ वादी को नहीं मिल पा रहा है ।

3. वादो द्वारा प्रतिवादीगणों को बॅटवारा कराने को कहा तो उन्होनें मना किया तथा कहा कि कानूनी कार्यवाही कराओं । तब से अर्थात दिनांक 20.12.17 से वाद कारण उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है ।

4. निवेदन किया कि वादी के पक्ष में एवम प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की प्रारम्भिक डिक्री जारी फरमाई जावे कि वाद वर्णित आराजियात का हिस्से कब्जे अनुसार बॅटवारा जरिये तहसीलदार वल्लभनगर के करवाया जावे ।

5. प्रकरण आज राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट बड़गॉव में पेश हुआ । आज वादी तथा प्रतिवादी संख्या 1,2,3,5,7,8,9,12,15, उपस्थित होकर निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजियात का बॅटवारा हिस्से कब्जे तथा मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर कर दिया जाता है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है । हमनें राजस्व रेकार्ड नकल जमाबन्दी सम्वत 2050—53 का अवलोकन किया । इससे जाहीर आया है कि वादग्रस्त आराजियात अब तक सामलाती ह जिसका विधिक रूप से विभाजन नहीं हुआ है । यदि विधिक रूप से विभाजन होता है तो किसी भी पक्षकार को कोई आपत्ति नहीं है । अतः वाद वादी स्वीकार योग्य पाया जाता है ।

6. अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर प्रारम्भिक रूप से डिक्री किया जाता है कि मौजा बड़गॉव पटवार मण्डल बड़गॉव तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर में स्थित आराजी नम्बर 7/6, 7/12, 7/4, 7/7 किता–4 रकबा 24 बीघा 6 बिस्वा भूमि का विभाजन हिस्से कब्जे तथा मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर बॅटवारा प्रस्तावित किया जावे । बॅटवारा प्रस्तावित करने हेतु तहसीलदार भीण्डर को 1000/– रूपये शुल्क पर बॅटवारा कमिश्नर नियुक्त किया जाता है । बॅटवारा करने से पूर्व सभी पक्षकारान को जरिये सूचना पत्र तलब किया जावे । राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में वर्णित प्रावधानों का पूर्ण पालन किया जावे । विभाजन सूची, नक्शा ट्रेस 2–2 प्रतियों में पेश किये जावे । फीस कमिश्नर वादी मौके पर अदा करें ।

7. प्रारम्भिक पर्चा डिक्री पर्चा जारी हो । पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो ।

8. निर्णय खुले ईजलास कैम्प कोर्ट '' बड़गॉव '' पर सुनाया गया ।

(अनिल कुमार शर्मा) R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) वल्लभनगर
जिला उदयपुर ।